भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3176
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2026 को दिया जाएगा

खाद्य पदार्थों में मिलावट

3176. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाद्य वस्तुओं के प्रसंस्करण में लगी कुछ कंपनियों के खिलाफ खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं;
(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उन पर की गई कार्रवाई (जांच, लाइसेंस निलंबन, जुर्माना, अभियोजन आदि) का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में लगी कंपनियों के लिए गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने हेतु नई निगरानी या परीक्षण प्रणाली शुरू करने का विचार है,
(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का जैविक (ऑर्गेनिक) और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए प्रसंस्करण कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन/राजसहायता / प्रमाणन जैसी सहायता प्रदान करने का विचार है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) एवं (ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अधीन कार्यरत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) के अंतर्गत संचालित खाद्य सुरक्षा कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायत के सफल पंजीकरण पर, संबंधित नामित अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (डीओएस/एफएसओ) और खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों की ऑनलाइन पहुंच प्राप्त होती है। उपभोक्ता शिकायतों पर एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुसार विनियामक कार्रवाई संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।

प्राप्त और हल की गई उपभोक्ता शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	प्राप्त शिकायतें	हल की गई शिकायतें
2022-23	4330	4074
2023-24	4735	3993
2024-25	7705	5952

(ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है।

राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन नामित अधिकारियों (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

एफएसएसएआई, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों और अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, अधिनियम और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों (एफएसएसआर) के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना (एनएएसपी), निरीक्षण और नमूनाकरण गतिविधियों सहित नियमित रूप से स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाता है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई के पास जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) है, जिसमें खाद्य पदार्थों से जुड़े जोखिम के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति तय की जाती है। यदि मानकों से कोई विचलन या एफएसएसआर का उल्लंघन पाया जाता है, तो दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) पर एफएसएस अधिनियम 2006 और उससे संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक उपायों सहित विनियामक कार्रवाई की जाती है।

(घ) एवं (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपने केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) स्कीम के माध्यम से प्रोत्साहन देकर और संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार करके देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को संवर्धित करता है और सुनिश्चित करता है। एमओएफपीआई स्कीमें मांग-आधारित है और पात्र उद्यमियों को संबंधित अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

****